

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)

आदेश


आयुक्त पूर्णिया प्रमण्डल पूर्णिया-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पत्रांक-206 पूर्णिया दिनांक-06.02.2017 के द्वारा प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0002- विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र की सूची अन्तर्गत 1101 यात्रा व्यय एवं 1301 कार्यालय व्यय इकाई में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु मुंगेर जिला को बिहार विधान परिषद कोशी शिक्षक निर्वाचन हेतु क्रमशः रु० 11,528.00 (ग्यारह हजार पाँच सौ अठ्ठाईस) एवं रु० 6,908 (छः हजार नौ सौ आठ) रुपये मात्र आवंटित की गई है। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ (4) एवं (7) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है :-

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	11 01 यात्रा व्यय (₹ में)			13 01 कार्यालय व्यय की राशि (₹ में)		
		वित्तीय वर्ष 16-17 में पूर्व उपावंटित राशि(₹ में)	वित्तीय वर्ष 16-17 में वर्तमान में उपावंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 16-17 में वर्तमान में उपावंटन को मिलाकर कुल उपावंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 16-17 में पूर्व उपावंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 16-17 में वर्तमान में उपावंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 16-17 में वर्तमान में उपावंटन को मिलाकर कुल उपावंटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0	11,528 /-	11,528 /-	0	6,908 /-	6,908 /-

- आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0002- विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 11 01 यात्रा व्यय एवं 13 01 कार्यालय व्यय इकाई में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपावंटित राशि से विकलिनीय होगा।
- उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 201500103-0002 है।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि०(2) दिनांक: 17.04.1998 पत्रांक: -423/वि० दिनांक:- 31.03.2016, पत्रांक 2793/वि० दिनांक 04.04.2016 एवं पत्रांक: 4572/वि० दिनांक 03.06.2016, के आलोक में आवंटित है।
- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।
- (i) उपावंटित राशि से पूर्व वित्तीय वर्षों के किसी प्रकार के बकाया/अन्यान्य कार्यों पर हुए व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
(ii) आवंटित राशि की निकासी ए०सी० विपत्र पर कदापि नहीं की जायेगी।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा नियमानुसार जाँचकर भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।

10. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पांचवी तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

11. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी


—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 115 /नि०, दिनांक: 19/02/17

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी


—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 115 /नि०, दिनांक: 19/02/17

प्रतिलिपि: आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया —सह— निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पत्रांक 206/पूर्णिया दिनांक 06.02.2017 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार —सह— सरकार के प्रधान सचिव बिहार, पटना के पत्रांक बी० -114-103(0002)/2016-74/आ० दिनांक 10.01.2017 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।